मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड पर 01 जुलाई 2015 का परिपत्र सं बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.2/21.04.048/2015-16

क्र.	संदर्भित अनुच्छेद	मौजूदा भाग	आरबीआई विनियमन के संशोधित पाठ (ट्रैक चेंज मोड में)
1	4.2.7 (iv)	…….	…..
		जी) चूंकि द्विपक्षीय नेटिंग के संबंध में विधिक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, अत: एक ही काउंटरपार्टी से/को प्राप्य राशि और देय राशि तथा एक डेरिवेटिव संविदा से संबंधित प्राप्य राशि और देय राशि की नेटिंग नहीं की जानी चाहिए।	~~जी) चूंकि द्विपक्षीय नेटिंग के संबंध में विधिक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, अत: एक ही काउंटरपार्टी से/को प्राप्य राशि और देय राशि तथा एक डेरिवेटिव संविदा से संबंधित प्राप्य राशि और देय राशि की नेटिंग नहीं की जानी चाहिए।~~
		एच) इसी प्रकार, यदि किसी उधारकर्ता को दी गयी निधि आधारित ऋण सुविधा एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाती है तो सभी डेरिवेटिव एक्सपोजर के एमटीएम के संबंध में उपर्युक्त रीति से कार्रवाई की जानी चाहिए।	जीएच~~च~~) इसी प्रकार, यदि किसी उधारकर्ता को दी गयी निधि आधारित ऋण सुविधा एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाती है तो सभी डेरिवेटिव एक्सपोजर के एमटीएम के संबंध में उपर्युक्त रीति से कार्रवाई की जानी चाहिए।